आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–63 / 2023	
28.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के प्रतिनिधि के रूप में श्री संतोष कुमार, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह शहरी आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह ने आयोग को अपने विस्तृत प्रतिवेदन पत्रांक–526 दिनांक–26.03.2024 के माध्यम से भेजा है। अपने प्रतिवेदन में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इस बात का उल्लेख किया है कि कुछ अनियमितता तो हुई है, लेकिन कुछ अनियमितता में उनकी संलिप्तता नहीं है। ऐसे में आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि इस वाद में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा आयोग को प्रेषित प्रतिवेदन की प्रति सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को भेजते हुए उनसे यह आग्रह करें कि वे इस पूरे मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें। न्याय के हित में विभाग को भेजे जाने वाले सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति शिकायतकर्ता को भी भेज दी जाए। विभाग द्वारा इस मामले में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शिकायतकर्ता, श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन को प्रतिवेदन की एक प्रति भेज दी जाए। उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx169	